

:: शिक्षक (पं.) संवर्ग की आपसी स्थानांतरण आदेश जारी होने की सूचना ::

क. / १८७२ / जि.पं. / शिक्षा / 2017

जांजगीर. दिनांक ०९ / 11 / 2017

इस कार्यालय के द्वारा शिक्षक (पं.) संवर्ग का आपसी अन्तरजिला स्तर पर स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है। जिसे शिक्षक (पं.) संवर्ग की सुविधा की दृष्टि से इस कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले के बेवसाईट [WWW.janjgir-champa.gov.in /zilapanchayat.htm](http://WWW.janjgir-champa.gov.in/zilapanchayat.htm) पर देखा जा सकता है।

(अजीत वसंत) I.A.S

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग)
जांजगीर, दिनांक ०९ / 11 / 2017

पृ.क्र. / १८७३ / जि.पं. / शिक्षा / 2017
प्रतिलिपि :-

- 01 कलेक्टर महोदय जिला जांजगीर चांपा की ओर सूचनार्थ।
- 02 जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षणिक जिला जांजगीर/सक्ती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 03 उप संचालक, जनसम्पर्क जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 04 सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारीजिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ।
- 05 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर को जिला पंचायत के बेवसाईट पर अभ्यर्थियों की सूची अपलोड करने हेतु सी.डी. तथा हार्ड कापी सहित प्रेषित।
- 06 सूचना पटल में चस्पा करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग)

:: आदेश ::

क्र./ 9619 / जि.पं./ शिक्षा/ स्था./ 2017

जांजगीर, दिनांक 08/11/2017

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी, भवन, रायपुर के पत्र क्र. पंचा-1206/पंचाविधि/22/2015/404 दिनांक 28.07.2015 के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 16.10.2017 के अनुमोदन तथा जिला पंचायत बिलासपुर एवं जशपुर से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नांकित शिक्षक (पं.) संवर्ग का अंतरजिला के अधीन समान पद, समान सामर्थ्य में कालम 07 में दर्शित जिला पंचायत हेतु आपसी आधार पर स्थानान्तरण किया जाता है एवं इनकी सेवायें संबंधित जिला पंचायत को सौंपी जाती है :-

क्र.	शिक्षक (पंचायत) संवर्ग का नाम	पदनाम	विषय	कार्यरत संस्था	विकास खंड	जिला	स्थानांतरण का आधार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री रमेश कुमार साहू	शि.(पं.)	विज्ञान	शा.पू.मा.वि.अमरताल	अकलतरा	जांजगीर-चांपा	आपसी
	श्री सूरज भान सिंह गोड़	शि.(पं.)	विज्ञान	शा.पू.मा.वि.सुरंगटोला	मरवाही	बिलासपुर	
2	श्री फ्रांसिस जेवियर लकड़ा	व्या.(पं.)	जीवविज्ञान	शा.हाईस्कूल कटौद	नवागढ़	जांजगीर-चांपा	आपसी
	श्रीमती रचिता सिंह चौहान	व्या.(पं.)	जीवविज्ञान	शा.उ.मा.वि.बन्दरचुवां	कुनकुरी	जशपुर	

इन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी तथा स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर स्थानांतरित शाला में कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अजीत वसंत) I.A.S.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर, दिनांक 7/11/2017

पृ.क्र./ 9620 / जि.पं./ शिक्षा/ स्था./ 2017
प्रतिलिपि,

- 1- प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी, भवन, रायपुर के पत्र क्र. पंचा-1206/पंचाविधि/22/2015/404 दिनांक 28.07.2015 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
- 2- संचालक, पंचायत संचालनालय, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 3- कलेक्टर, जिला की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी, को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8- संबंधित श्री/श्रीमती शिक्षक (पं.) विकास खंडकी ओर सूचनार्थ/पालनार्थ अग्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रं./ 9656 /जि.पं./शिक्षा/स्था./2017

जांजगीर, दिनांक 8/11/2017

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी. भवन, रायपुर के पत्र क्रं. पंचा-1206/पंग्राविवि/22/2015/404 दिनांक 28.07.2015 के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 28.08.2017 के अनुमोदन तथा जिला पंचायत बेमेतरा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक/5323/जि.पं./शिक्षा/स्था./2017 बेमेतरा दिनांक 30.10.2017 के आधार पर निम्नांकित शिक्षक (पं.) संवर्ग का अंतरजिला के अधीन समान पद, समान सामर्थ्य में कालम 07 में दर्शित जिला पंचायत हेतु आपसी आधार पर स्थानान्तरण किया जाता है एवं इनकी सेवायें संबंधित जिला पंचायत को सौंपी जाती है :-

क्रं.	शिक्षक (पंचायत) संवर्ग का नाम	पदनाम	विषय	कार्यरत संस्था	विकास खंड	जिला	स्थानांतरण का आधार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सुन्दरलाल साहू	व्या.(पं)	हिन्दी	शा.हाईस्कूल गाड़ामोर	नवागढ़	बेमेतरा	आपसी
	श्रीमती रुपा पाण्डेय	व्या.(पं)	हिन्दी	शा.हाईस्कूल जर्वे	सक्ती	जांजगीर-चांपा	

इन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी तथा स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर स्थानांतरित शाला में कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अजीत वसंत) I.A.S.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर, दिनांक 8/11/2017

पृ.क्रं./ 9657 /जि.पं./शिक्षा/स्था./2017

प्रतिलिपि,

- 1- प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी. भवन, रायपुर के पत्र क्रं. पंचा-1206/पंग्राविवि/22/2015/404 दिनांक 28.07.2015 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
- 2- संचालक, पंचायत संचालनालय, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 3- कलेक्टर, जिला की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी, को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8- संबंधित श्री/श्रीमती, शिक्षक (पं.) विकास खंडकी ओर सूचनार्थ/पालनार्थ अग्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)